5. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री संजय चाण्डक — प्रार्थी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा —अप्रार्थी संख्या 5
3. श्री [illegible] अप्रार्थी -1-2

निर्णय :—

दिनांकः— 13/04/2026

अधिवक्ता प्रार्थी श्री संजय चाण्डक की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है—यह कि प्रार्थीया ने उक्त अनवान का वाद — पत्र श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जो जेरकार है। प्रार्थीया को श्रीमान न्यायालय से पुरा—पुरा न्याय प्राप्त होने की आशा है। प्रार्थीया के प्रार्थना—पत्र का भार संतुलन प्रथम द्रष्टवा प्रार्थीया के पक्ष में है।

यह कि प्रार्थीया के पड़दादा शेराराम पुत्र हुणताराम के नाम से राजस्व तहसील पीलीबंगा के ग्राम रोही जाखड़ांवाली में कुल है० कमाण्ड दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अपने उक्त कथनों की पुष्टि में नकल जमाबन्दी ग्राम जाखड़ांवाली सम्वत 2012—15 हमरा इस प्रार्थना—पत्र के साथ पेश है । जो प्रार्थना—पत्र का आधार है। उक्त दस्तावेज से स्पष्ट प्रमाणित है कि वादाधिन रकबा प्रार्थीया का पैत्रिक रकबा है

यह कि प्रार्थीया के पड़दादा श्री शेराराम पुत्र श्री हुणताराम की मृत्यु के उपरान्त उक्त वादाधिन रकबा उनके वारीसान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पिता के नाम से एंव प्रार्थीया के भाई के नाम से उनके निहित हिस्सा कृषि भूमि दर्ज चली आ रही है।

यह कि प्रार्थीया ने यह वाद—पत्र वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज चले आ रहे कुल रकबे में से अपने पिता श्री सत्यनारायण जो कि वाद—पत्र में प्रतिवादी संख्या—1 कायम है एंव अपने भाई वेदप्रकाश जो कि प्रतिवादी संख्या—2 कायम है, के नाम से दर्ज वर्तमान चक 5 एच. एल. एम. के खाता संख्या—54६ 49 में स्थित 7.311 है० कमाण्ड मय खाला में निहित 1/4—1/4 हिस्सा, इसी चक के खाता संख्या— 37/ 34 में स्थित 0.443 है0 कमाण्ड भूमि में निहित

1/6–1/6 हिस्सा, एंव इसी चक में स्थित खाता संख्या– 45/36 में 15.535 है0 कमाण्ड ६ अनकमाण्ड भूमि में निहित 1/8–1/8 हिस्सा एंव चक जेड.डब्ल्यु. डी. बी के खाता संख्या– 13/15 में स्थित 27.869 है० कमाण्ड ६ अनकमाण्ड मय खाला भूमि में निहित 6.967 है0 ब0हि0ब0 कृषि भूमि की हद सुमन तक पेश किया है। प्रार्थीया ने अपने इस वाद पत्र के माध्यम से अपने पिता एंव भाई के नाम से दर्ज पैत्रिक कृषि भूमि में अपने जन्म से निहित हक व हिस्सा की हद तक अनुतोष चाहा है। सयुंक्त खाता में दर्ज शेष सहकाश्तकारों की हिस्सा की भूमि की बाबत प्रार्थीया का कोई अनुतोष नहीं है।

यह कि स्व० श्री शेराराम की मृत्यु उपरान्त उक्त वादाधिन रकबा उनके पोत्रों के नाम से उनके निहित हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है। प्रार्थीया के परिवार की वंशावली प्रस्तुत की गई है।

यह कि वादाधिन भूमि मूल रूप से श्री शेराराम को आवंटित भूमि थी । उनकी मृत्यु के पश्चात हिस्सानुसार भूमि प्रार्थीया के पिता अर्थात अप्रार्थी नं० 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पिता अर्थात अप्रार्थी नं० 1 के नाम से एव प्रार्थीया के भाई के नाम से अर्थात अप्रार्थी नं० 2 के नाम से दर्ज समस्त हिस्सा भूमि में से प्रार्थीया 1/ 3 हिस्सा भूमि प्राप्त करने की कानूनः हकदार है। 7. यह कि प्रार्थीया अपने पैत्रिक कृषि भूमि में निहित अपने पिता एंव भाई के नाम से दर्ज हिस्सा भूमि में प्रतेक के हिस्सा में से 1/3–1/3 हिस्सा भूमि को कम कर अपने नाम 1/3 हिस्सा भूमि की घोषणा करवाने बाबत यह घोषणात्मक वाद पेश किया है।

यह कि प्रार्थीया को पुरा पुरा अंदेशा है कि अप्रार्थीगण विधि–विरूद्ध तरिके अपने नाम दर्ज चले आ रहे पैत्रिक कृषि भूमि में निहित हक व हिस्सा की भूमि को किसी ना किसी तरिके से हस्तान्तरण करने की कौशीश में है। ताकि प्रार्थीया को उसके जन्म से निहित हक व हिस्सा की भूमि से महरूम किया जा सके। यदि अप्रार्थीगण अपने इस गल्त उदेशय में कामयाब हो गए तो प्रार्थीया के हितों पर ना पुरा होने वाला नुकसान हो जावेगा। जिसकी बाद में पुर्ति भी संभव नहीं है ।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत करके निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई–निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जावे कि वह चक 5 एच. एल. एम. के खाता संख्या–54/49, 37/34, 45/36 एंव चक 6 जेड.डब्ल्यु. डी. श्बीश के खाता संख्या– 13/15 में अप्रार्थी संख्या– 1 व 2 के नाम से दर्ज हिस्सा भूमि को इस वाद–पत्र के अंतिम निर्णय तक किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करें एंव मोके की तथा रिकार्ड की स्थिती यथावत बनाए रखें। आपकी अति कृपा होगी।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री अशोक चिरानिया अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा मय जवाब अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त अनवान के प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–1 व 2 का जवाब प्रार्थना–पत्र निम्न प्रकार से है – यह कि प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 1 में अंकित यह कथन कि, उक्त अनवान का वाद–पत्र श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है।श यहां तक स्वीकार है। इस मद में दर्ज शेष कथन केवल मात्र कयास के आधार पर दर्ज किए हुए होने के कारण अस्वीकार है। यह कि प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 2 में अंकित कथनों को पूर्ण रूप से न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करने का दायित्व प्रार्थीया पर है।

यह कि प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 3 में अंकित कथनों को दस्तावेजी साक्ष्यों से न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करने का दायित्व प्रार्थीया पर ही है।

यह कि प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 4 में प्रार्थीया ने कृषि भूमि के सबंध में जो तथ्य दर्ज करवाए है वे राजस्व रिकार्ड से सबंधित होने के कारण स्वीकार है। एंव इस मद में दर्ज शेष कथनों को न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करने का दायित्व प्रार्थीया पर ही है।

यह कि प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 5 में अंकित वंश वृक्षावली को न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने का भार प्रार्थीया पर ही है। 6. यह कि प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 6 में अंकित कथन मनमाने ढंग से एंव केवल मात्र अप्रार्थी संख्या –1 व 2 को परेशान करने की गर्ज से दर्ज हुए होने के कारण अस्वीकार है । वास्तविक रूप से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं० 1 व 2 के नाम से दर्ज कृषि भूमि के एक मात्र मालिक अप्रार्थी संख्या– 1 व 2 ही है। अन्य कोई नहीं है ।

यह कि प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 7 में अंकित कथन इस प्रार्थना–पत्र की विषय–वस्तु ना होकर वाद–पत्र की विषय–वस्तु है । यह कि प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र की मद संख्या– 8 में अंकित कथन असत्य, आधारहीन एंव बिना दस्तावेजी साक्ष्यों के दर्ज किए हुए होने के कारण अस्वीकार है। एंव इसी मद के अंत में प्रार्थीया ने श्रीमान न्यायालय से जो अनुतोष मांगा है वह भी विधि–विरूद्ध मांग दर्ज की हुई होने के कारण अस्वीकार योग्य है ।

अप्रार्थी संख्या– 1 व 2 वादाधिन कृषि भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थीया ने इस प्रार्थना–पत्र में दर्ज कथनों की पुष्टि में कोई भी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किए है जिससे की उनके द्वारा दर्ज कथनों की सत्यता प्रमाणित हो सके। प्रार्थीया कानूनः रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध श्रीमान न्यायालय से किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की हकदार नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना–पत्र आधारहीन एंव विधि – विरूद्व प्रस्तुत हुआ होने के कारण निरस्त फरमाया जावे। आपकी अति कृपा होगी ।

प्रकरण में स्टेट जवाब प्राप्त हैं शामिल पत्रावली है मुताबिक जवाब राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण कर दिया जाये तो हमे कोई एतराज नहीं है।

–::आदेश::–

बहस अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण इस लिए स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि प्रश्नगत रकबा में हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश ता फैसला दावा कनर्फम किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 03.11.2016 जारी अस्थाई निषेधाज्ञा ता दावा फैसला कनफर्म किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक ..13/04/26.. सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा